दक्षिण मध्य रेलवे

सेफ्टी.387/फ्लाई लीफ/6/2022

फ्लाई लीफ सं.06/2022

ध्यान दें .... सर्वसंबंधित

मानसून पूर्वोपाय

केंद्रीय नियंत्रण/रेल निलयम

a. मौसम/चक्रवात चेतावनी टेलीग्राम प्राप्त होने पर मुख्य नियंत्रक/केंद्रीय नियंत्रण इसकी एक प्रति इंजीनियरी नियंत्रण, टीपीसी, टीएलसी, सुरक्षा नियंत्रण, वाणिज्य नियंत्रण, विद्युत नियंत्रण, टेस्ट रूम और संबंधित मंडल नियंत्रक को भेजने की व्यवस्था करेगा. **इसके आगे, इन नियंत्रणों की जिम्मेदारी है कि वे अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और सभी संबंधित विभागों को इसकी सूचना दें ताकि वे किसी भी सम्भावित घटना से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार रहें.**

b. **नाम, पदनाम और संदेश भेजने के समय का रिकॉर्ड रखा जाए.**

मंडल नियंत्रक

a. मौसम/चक्रवात चेतावनी टेलीग्राम प्राप्त होने पर मुख्य नियंत्रक/केंद्रीय नियंत्रण इसकी एक प्रति इंजीनियरी नियंत्रण, टीपीसी, टीएलसी, सुरक्षा नियंत्रण, वाणिज्य नियंत्रण, विद्युत नियंत्रण, परीक्षण कक्ष और संबंधित मंडल नियंत्रक को भेजने की व्यवस्था करेगा. **इसके आगे, इन नियंत्रणों की जिम्मेदारी है कि वे अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और सभी संबंधित विभागों को इसकी सूचना दें ताकि वे किसी भी सम्भावित घटना से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार रहें.**

b. **सेक्शन नियंत्रक सभी स्टेशनों के स्टेशन प्रबंधकों को संदेश शब्दशः दोहराए और नामित रजिस्टर में स्टेशन प्रबंधक का नाम और अभिस्वीकृति का समय दर्ज करें.**

वसेइंजी/रेलपथ द्वारा कार्रवाई

1. पैट्रोल बुक को क्रमांकित किया जाए और स्टेशन मास्टर को सौंप दिया जाए.
2. गश्ती पुस्तक में वे संवेदनशील स्थलों और पुलों का उल्लेख होना चाहिए, जिन पर विशेष निगरानी अपेक्षित है. स्टेशन पर वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित गश्ती चार्ट की प्रति भी प्रदर्शित की जानी चाहिए.
3. सुनिश्चित करें कि जहां तक संभव हो उन गश्तियों को गश्त के लिए चुना जाए जिन्हें क्वार्टर उपलब्ध कराए गए हों.
4. **सुनिश्चित करें कि यदि किसी कारणवश गश्त के लिए नामित गश्ती उपस्थित नहीं हो पाता है, तो अन्य किसी ट्रैकमैन की व्यवस्था की जाए.**
5. **सुनिश्चित करें कि उपस्कर, सुरक्षात्मक कपड़े और उपभोज्य सामग्रियों की अधिप्राप्ति की गई है.**

6. **साधारण व सहायक नियम के परिशिष्ट IV के पैरा 3 में दी गई सूची के अनुसार पखवाड़े में एक बार गश्ती के उपस्करों की जाँच और ट्राली द्वारा रेलपथ का निरीक्षण किया जाए.**
7. **आईआरपीडब्ल्यूएम की तालिका 1 ए (पैरा 103) और दिनांक 23.12.2020 के पत्र सं.219/सीई-II/टीके /आरओआई के अनुसार सहायक मंडल इंजीनियर/ मंडल इंजीनियर/वरि. मंडल इंजीनियर द्वारा अक्सर निरीक्षणकिए जाएं.**

गैंगमेट द्वारा कार्रवाई

1. साफ मौसम के दौरान, गैंगमेट स्वयं ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर की गश्त और मध्यवर्ती गैंगमेट को सचेत करने के लिए दो विश्वसनीय गैंगमेन को उपस्करों के साथ प्रतिनियुक्त करेगा.
2. मानसून के दौरान, स्टेशन/यार्ड गैंग का गैंगमेट, मध्यवर्ती गैंगमेट, गश्ती और वॉचमैन को सचेत करने के लिए दो गैंगमेन को विपरीत दिशाओं में भेजेगा.

कर्षण पावर नियंत्रक द्वारा कार्रवाई: कर्षण पावर नियंत्रक को चाहिए कि वह स्थिति से निपटने के लिए त्वरित और शीघ्र कार्रवाई के लिए हमेशातत्पर रहे. उसे चाहिए कि वहपरिस्थितियों के अनुसार समीपवर्ती मंडलों से मदद मांगने के अलावा, फील्ड पदाधिकारियों, मुख्यालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखे.

i) सहायक विद्युत इंजीनियर अपने संबंधित मुख्यालय में रहेंगे. चक्रवात के कारण ओएचई / पीएसआई संस्थापनों को हुए नुकसान के आधार पर उनकी आगे की गतिविधि के लिए वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर/कर्षण वितरण द्वारा मार्गदर्शन दिया जाए.

ii) कर्षण वितरण शाखा के सभी वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को चाहिए कि वे भी टीपीसी को अपनी गतिविधियों के बारे में सूचित करें. ये अनुदेश अन्य प्रमुख कर्मियों पर भी लागू होते हैं .

ओएचई/पीएसआई डिपो प्रभारी द्वारा कार्रवाई

मौसम / चक्रवात की चेतावनी प्राप्त होने पर ओएचई / पीएसआई डिपो प्रभारी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरतने और मुख्यालय में उपलब्ध होने के लिए तत्पर रहें. वे अल्प सूचना में आगे बढने के लिएतैयार रहें.

ब्रेक डाउन वाहन अर्थात् टॉवर कार, वायरिंग गाडी, लॉरी और सभी ब्रेक डाउन औज़ार, शैकल और सीढ़ी, जनरेटर सेट, सुवाह्य फ्लड लाइट आदि को किसी भी घटना के लिए तैयार रखा जाए. कंडक्टर, इंसुलेटर, फिटिंग जैसी ओएचई सामग्री को भी तैयार रखा जाए.

स्टेशन मास्टर

- **सेक्शन नियंत्रक से मौसम चेतावनी संदेश प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित किया जाए कि सहायक मंडल इंजीनियर, वसेइंजी/कइंजी-रेलपथ, वसेइंजी(कार्य), समंविइंजी/कवि, वसेइंजी/ ओएचई/ पीएसआई को इसकी सूचना टेलीफ़ोनया संदेश वाहक द्वारा तारीख व समय सहित स्पष्टावती के अंतर्गत दी गई है. इसे निर्धारित मौसम चेतावनी रजिस्टर में दर्ज किया जाए/चिपकाया जाए.**
- **जब मौसम चेतावनी संदेश/चक्रवात का पूर्वानुमान, तूफान और तेज हवाए चलने की सूचना प्राप्त हो और / या इस बात का संदेह हो कि गंभीर तूफान से यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में पड सकती**

है, गार्ड और लोको पायलट से परामर्श के बाद स्टेशन मास्टर गाड़ी को विनियमित करेगा और सभी गाड़ियों को तब तक लाइन क्लियर नहीं देगा जब तक कि तूफान शांत नहीं हो जाता और मौसम गाडियों की आवाजाही के लिए सुरक्षित प्रतीत नहीं होता

- रात्रि गश्ती के नाम, पदनाम और जाने/आने के समय के बारे में गाडी सिगनल रजिस्टरऔर स्टेशन डायरी में लाल स्याही से प्रविष्टियाँ की जाए. इसके विवरण के बारे में सेक्शन नियंत्रण को सूचित किया जाए.
- यदि, किसी भी कारणवश रात्रि गश्ती अपने बीट चार्ट के अनुसार ब्लॉक सेक्शन से वापस नहीं लौटता है, तो 15 मिनट तक प्रतीक्षा करें और सभी गाड़ियों के लिए 40 किमीप्रघं का अधिकतम गति प्रतिबंध अपनाने के लिए आपाती सतर्कता आदेश जारी करें.
- निरंतर अंतरालों पर, साधारण व सहायक नियम के परिशिष्ट IV के पैरा 3 के अंतर्गत दी गई सूची के अनुसार रात्रि गश्ती के अनिवार्य उपस्करों की जांच करें.
- बीट पुस्तक पर अग्रिम रूप से हस्ताक्षर न करें और रात पूरी होने के बाद सभी प्रविष्टियां ना करें.
- ऐसे स्टेशनों पर, जहां संस्थापित एनीमोमीटर खतरे के स्तर से अधिक हवा के वेग का संकेत दे रहा हो, वहां ;
  - ✓ गाडियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए सेक्शन नियंत्रक और दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर को तुरंत सूचित करें.
  - ✓ गाडी संचलन को अपने स्टेशन से आरंभ होने या गुजरने की अनुमति ना दे और गाडियों को लाइन क्लियर ना दे .
  - ✓ सेक्शन नियंत्रक और समीपवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर के परामर्श से सामान्य कार्यचालन तब तक आरंभ न करें जब तक कि हवा का वेग खतरे के स्तर से नीचे ना आ जाए.

लोको पायलट

a. यदि गाड़ी चक्रवात, तूफान या तेज हवा में फंस जाती है और लोको-पायलट का यह मानना हो कि इससे यात्रियों और गाड़ी की सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना है, तो वह गाडी को पुलों , तीव्र घुमावों आदि पर न रोकने की विधिवत सावधानी बरतते हुए उसे **सुविधाजनक स्थान पर रोकेगा.**

b. गाडी कर्मीदल (लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड) यात्रियों के सहयोग से सभी सवारी डिब्बों के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें और उनमें से हवा आने दें .

c. गाडी को तूफान और तेज हवाओं के थमने के बाद ही दोबारा आरंभ करें .

d. विद्युतीकृत क्षेत्र में चक्रवात/तूफान/तेज हवाओं के दौरान, अपने लोको के पेंटोग्राफ के साथ-साथ गुजरने वाली गाडियों पर भी नजर रखेगा और किसी भी असामान्यता की रिपोर्ट टीपीसी/टीएलसी को करेगा और पेंटोग्राफ को होने वाली क्षति को कम करने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा.

e. **जब स्टेशन मास्टर द्वारा 40 किमीप्रघं का आपाती सतर्कता आदेश जारी किया जाता है और रात्रि गश्ती ब्लाक सेक्शन से वापस नहीं लौटता है तो अत्यधिक सावधानी बरतें और असुरक्षित स्थिति देखे जाने/रिपोर्ट किए जाने पर गाड़ी को रोके .**

f. **समपारों, पुलों, घुमावों, संवेदनशील स्थलों के पहुंच मार्गों पर और किसी भी अपरिहार्य कारण के लिए ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को बैक करते समय सीटी बजाएं.**

g. **लोको का प्रभार लेते समय यह सुनिश्चित करें कि सैंडर्स रेत से भरे हुए हैं और वे कार्यचालन स्थिति में हैं ताकि स्टालिंग से बचा जा सके .**

<u>जल स्तर बढ़ने पर विशेष पूर्वोपाय —</u>

गाड़ियों को पूरी तरह रोक देने और 8 किमीप्रघं तक की गति से आगे बढ़ने की अनुमति देने के प्रत्येक मामले में निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएं.

a. यदि पानी गिट्टी के स्तर से अधिक हो, लेकिन पटरी स्तर से नीचे हो तो प्रत्येक गाडी से पहले रेलपथ पर स्लीपरों के दोनों सिरों पर दो व्यक्तियों को एक साथ चलाया जाए और केवल यदि रेलपथ पर कोई परेशान नहीं होती तो गाडियों को रेलपथ पर चलाने की अनुमति दी जाए.

b. जब पानी पटरी के स्तर से अधिक हो तो पीडब्लूआई को रेलपथ पर चलते हुए और यह जांच करते हुए यह प्रमाणित करना चाहिए कि रेलपथ सुरक्षित है.

जब पानी गिट्टी स्तर से ऊपर उठता है और फिर कम हो जाता है तो पीडब्लूआई द्वारा सहायक इंजीनियर और मंडल इंजीनियर को संदेश भेजा जाना चाहिए. इसके बाद विशेष रिपोर्टों भेजी जानी चाहिए. ऐसी सभी घटनाओं के रिकॉर्ड को पीडब्लूआई सेक्शन रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए .

<u>बाढ़ की चेतावनी:</u>

a. बाढ चेतावनी संकेतक: कतिपय पुलों पर बाढ़ चेतावनी साधन परीक्षण के आधार पर संस्थापित किए गए हैं. दो प्रकार के उपकरण निम्नानुसार संस्थापित किए गए हैं:

a) जीएसएम आधारित उपकरण: b) वीएचएफ आधारित उपकरण:

i. जब बाढ़ का पानी खतरे के निशान तक पहुंच जाता है, तो साधन स्टेशन मास्टर कक्ष में एक श्रव्य-दृश्य संकेत (बीप साउंड देते हुए) भेजता है और पुल के पहुंच मार्ग पर संस्थापित सिगनलों को 'ऑन' स्थिति में सक्रिय करता है.

ii. आने वाली गाडी के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट को चाहिए कि वह सिगनल के 'ऑन' स्थिति में होने पर गाड़ी को रोके. वह स्थल पर संबंधित सेइंजी/कइंजी/रेलपथ से क्लियरेंस मिलने के बाद ही अपनी गाडी को पुनः आरंभ करेगा.

स्टेशन मास्टर और संबंधित कर्मचारी निम्नलिखित कार्रवाई करें:

i. जब स्टेशन मास्टर को बाढ़ चेतावनी साधन से संदेश प्राप्त होता है, तो उसे चाहिए कि वह आने वाली गाड़ी को तुरंत रोक दे और समीपवर्ती स्टेशन मास्टरों और संबंधित कइंजी/सेइंजी/वसेइंजी/रेलपथ को सावधानी बरतने के लिए कहें जब तक कि उसे गाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए कइंजी/सेइंजी/वसेइंजी/रेलपथ से क्लियरेंस नहीं मिल जाती.

ii. जैसे ही सेइंजी/कइंजी/रेलपथ को संदेश प्राप्त होता है, उसे चाहिए कि वह स्थल पर जाए और स्थिति का जायज़ा ले तथा यातायात को नियमित करें. जब तक बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता, तब तक वह अस्थायी चौकीदार तैनात करें. वह समीपवर्ती स्टेशन मास्टर को बाढ़ की स्थिति और गाडियों की आवाजाही संभव है या नहीं, के बारे में सूचित करें.

रेल प्रभावित टंकी के कारण रेलपथ और पुलों को खतरा

जैसे ही स्टेशन मास्टर और संबंधित पदाधिकारियों को रेल प्रभावित टंकी के खतरे के संबंध में संदेश राज्य सरकार के पदाधिकारियों अर्थात् ग्राम सेवक/ग्राम सहायक, पंचायत सचिवों / सहायक पंचायत सचिवों या आम जनता से प्राप्त होता है तो निम्नलिखित कार्रवाई की जाए:

a. रेल प्रभावित टंकियों के कारण रेलपथ या पुल के खतरे के बारे में सूचना मिलने पर स्टेशन मास्टर को चाहिए कि वह आने वाली गाड़ी को तुरंत रोके और संबंधित सेइंजी/कइंजी/ रेलपथ और निकटवर्ती स्टेशन मास्टर को सूचित करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
b. सेक्शन के कइंजी/ सेइंजी/रेलपथ प्रभारी को चाहिए कि वह तुरंत स्थल पर जाए और स्थिति का आकलन करें और बाढ़ कम होने तक एक स्थायी चौकीदार को तैनात करें. उसे चाहिए कि वह समीपवर्ती स्टेशन मास्टर को बाढ़ की स्थिति और गाडियों की आवाजाही संभव है या नहीं, के बारे में सूचित करें.

वर्ष 2022-23 में नियमित मॉनसून गश्त के लिए गश्त सेक्शन की अवधि के साथ चिह्नित ब्लॉक सेक्शन

क्र.सं.	सेक्शन	ब्लॉक सेक्शन	नियमित मानसून गश्त की सामान्य अवधि
	सिकंदराबाद मंडल		
1	बल्हारशाह – काजीपेट	बल्हारशाह – काजीपेट	15.06.2022 से 15.10.2022 तक
2	काजीपेट – कोडपल्ली	काजीपेट – कोडपल्ली	
		वरंगल – काजीपेट बाई पास	
3	डोर्नकल – भद्रचालम रोड़– मणुगुरु	डोर्नकल – भद्रचालम रोड़	
4	सिकंदराबाद – काजीपेट – सनतनगर	काजीपेट – सिकंदराबाद	
		हुसैन सागर जंक्शन– हैदराबाद	
		सिकंदराबाद – सनतनगर	
5	सनतनगर – वाडी	सनतनगर – वाडी	
6	विकाराबाद – परली वैजनाथ	विकाराबाद – सदाशिवपेट रोड़	
		घाटनंदूर – परली वैजनाथ	
	गुंतकल मंडल		
1	रेणिगुंटा – गुत्ती	रेणिगुंटा – मंटपमपल्ले	15.06.2022 से 15.01.2023 तक
2	गुडूर – रेणिगुंटा	गुडूर – रेणिगुंटा	
3	गुत्ती – धर्मवरम	धर्मवरम – चिगिचेर्ला	
		कल्लुरु – पामिडी	
	गुंटूर मंडल		
1	नल्लपाडु – नंद्याल	गाजुलपल्ली – चेलमा	15.06.2022 से 15.10.2022 तक
		चेलमा – दिगुवमेट्टा	
2	नडिकुडि – पगिडिपल्ली	रायनगुडेम – तिप्पर्ती	
3	गुंटूर – नडिकुडि	सत्तेनपल्ली – रेड्डीगुडेम	
		बेल्लमकोंडा – न्यू पिडुगुराल्ला	
4	नडिकुडि – माचेर्ला	नडिकुडु – गुरजाला	
	विजयवाडा मंडल		
1	गुडूर – विजयवाडा	गुडूर – अम्मनब्रोलु	15.06.2022 से 15.01.2023 तक (दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून के अंतर्गत शामिल सेक्शन)

		अम्मनब्रोलु – चिनगंजाम	01.07.2022 से 31.10.2020 तक
2	काजीपेट – विजयवाडा	कोडपल्ली – विजयवाडा	19.06.2022 से 18.10.2022 तक
3	विजयवाडा – विशाखपट्टणम	सामलकोटा – बय्यवरम	01.07.2022 से 31.10.2022 तक
		थाड़ी– दुव्वाडा	
		निडदवोलु – नवाबपालेम	
4	विजयवाडा – मचिलीपट्टणम	तरिगोप्पुला – गुडिवाडा	01.07.2022 से 31.10.2022 तक
5	गुडिवाडा – भीमवरम	उंडी – भीमवरम जं.	
6	निडदवोलु – नरसापुर	निडदवोलु – कल्धारी	
	हैदराबाद मंडल		
1	सिकंदराबाद – ढोन	फलकनुमा – उमदानगर	15.06.2022 से 15.10.2022 तक
		तिम्मापुर– गदवाल	
		आलमपुर रोड़ – दुपाडु	
		उलिंदिकोंडा – वेल्दुर्ती	
2	सिकंदराबाद – मुदखेड	वडियारम – मिर्जापल्ली	
		बिक्नुर – सिर्नापल्ली	
		जनकमपेट – बासर	
		जनकमपेट – बोधन	
	नांदेड मंडल		
1	मनमाड - मुदखेड	अंकई – मुदखेड	15.06.2022 से 15.10.2022 तक
2	मुदखेड - पिंपलकुट्टी	मुदखेड - पिंपलकुट्टी	
3	परभणी – परली वैजनाथ	परभणी – परली वैजनाथ	
4	अकोला – पूर्णा	अकोला – पूर्णा	
5	अकोला – अकोट	अकोला – अकोट	

प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन

दक्षिण मध्य रेलवे